

प्रेषक,

झारखंड-सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,

॥ माध्यमिक शिक्षा ॥ झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 6.10.02

विषय:-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत तंचालित निजी विधालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत तंचालित केरला पब्लिक स्कूल, वर्मा माइन्स, जमशेदपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु वीये अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

1. संस्था एक विधालय तंचालन नियमावली एक माड के अन्दर तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगी ।
2. विधालय की भूमि टाटा कम्पनी के द्वारा लीज पर दी गई है । वूकि लीज का मामला विचाराधीन है तथा विधालय कार्यरत है । श्रेष्ठ सेते में लीज के संबंध में तक्षम प्राधिकार का जो निर्णय होगा उससे यह अनापति प्रमाण-पत्र प्रभावी होगा ।
3. विधालय प्रबन्धन एक तभा भवन छः माड के अन्दर निर्माणा कर लेगी ।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक -5-9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विधालय की वार्षिक वचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो वचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को

कृ०पृ०उ०

DIRECTOR

KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

Principal 23/5/2021
Kerala Public School,
Burmamines.

कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को ग्राहरी क्षेत्र में 2½ दोरु एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 दोरु एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 तीस वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डीनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही ~~सामान्य~~ सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

8. ~~अखिल भारतीय छात्र संघ के छात्रों के छात्रों~~

7. विधालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संघार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शास्त्री निकाय के सदस्यों की कार्यवाधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्स्टेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र ~~संख्या-1055~~ दिनांक -5.9.2001 के अनुसार शास्त्रों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

कु0पु030

DIRECTOR

KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

Principal 23/5/2021
Kerala Public School,
Burmamines...

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा तमर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाती या वास्तविक स्थिति में भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा हस्त राख्द्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।
15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के तत्काल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनिपत्तितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।
16. एतद्विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा प्रशस्त्रप्रतिमाननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।
17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विवरणभाजन

निदेशाक माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक-2516/रांची, दिनांक-6.10.02
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशाक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशाक माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची

ज्ञापांक-2516/रांची, दिनांक-6.10.02
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशाक माध्यमिक शिक्षा
झारखंड, रांची ।

DIRECTOR
Kerala Public School, BORMANNES

Principal 23/5/2021
Kerala Public School,
Burmammines.